

उपस्थिति—: संचिका में संधारित।

कार्यवाही:

(1) मिशन निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि शीतलहर से पान की फसल की क्षति हुई है। इस संदर्भ में संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान को निदेशित किया जाय कि वे क्षतिग्रस्त पान फसल का सर्वे कर प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति उद्यान निदेशालय को भी उपलब्ध करावें।

(अनुपालन—: उप निदेशक, उद्यान योजना –सह–नोडल पदाधिकारी—मुख्यमंत्री बागवानी मिशन)

(2) पान की खेती करने वाले कृषकों को सहायतानुदान देने हेतु विचार विमर्श किया गया। पूर्व के कार्यकाल की रूप रेखा आवश्यक सूधार करते हुए "शेडनेट में पान की खेती कार्यक्रम" को CMHM में शामिल करने हेतु निर्णय लिया गया है।

(अनुपालन उप निदेशक उद्यान (योजना)

(3) पान के बाजार हेतु मंडी स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित जिला के परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेशित किया जाय कि पान कृषकों का federation का गठन कर पान की मंडी हेतु प्रस्ताव राज्य बागवानी मिशन, को उपलब्ध कराये। साथ ही बाजार समिति में जगह की उपलब्धता के संदर्भ में गठित federation अनुमंडल पदाधिकारी, से संपर्क कर प्रस्ताव दें। जिले से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य स्तर पर प्रशासी पदाधिकारी, मार्केटिंग बोर्ड सह कृषि निदेशक से अनुरोध किया जायेगा।

(अनुपालन—: नोडल पदाधिकारी PHM)

(4) Low cost onion storage के अवयव के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि onion storage हेतु नया एवं improved model तैयार किया जाय एवं अगले कार्य योजना में शामिल किया जाय।

(अनुपालन—:नोडल पदाधिकारी PHM)

(5) माननीय मंत्री कृषि के निदेश के आलोक में बागवानी के योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन एवं फ्लेक्स बोर्ड हेतु प्रचार सामग्री तैयार कर निदेशक बामेति को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—: उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)

(6) प्रखंड उद्यान नर्सरियों के सुदृढीकरण कार्यक्रम के तहत निदेश दिया गया कि 53 प्रखंड उद्यान नर्सरी के पक्की ईट की घेरावदी, गेट, माली शेड, सिंचाई स्रोत आदि हेतु कार्य योजना तैयार किया जाय। नर्सरियों के सफल संचालन हेतु मानदेय पर 5 कार्यबल (माली-4 एवं सुपरवाइजर -1) रखने की व्यवस्था भी परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया जाय।

(अनुपालन—: उप निदेशक उद्यान (नर्सरी)

153

(7) योजनाओं के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के योजना तैयार करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं फसल विविधिकरण योजना को यथावत रखते हुए राज्य संपोषित अन्य योजनाओं को एकीकृत कर मात्र एक नयी योजना तैयार किया जाय। जिसमें वर्तमान के राज्य योजनाओं के सभी अवयवों को सम्मिलित करते हुए **मुख्यमंत्री समेकित उद्यान विकास योजना** के नाम से नयी योजना तैयार की जाय।

इसी क्रम में नोडल पदाधिकारियों द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु उद्व्यय की आवश्यकता से संबंधित लिखित सूचना उपलब्ध करायी गई एवं इसके आलोक में कार्य योजना तैयार करने का निदेश संबंधित नोडल पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन—: नोडल पदाधिकारी सभी)

(8) भी०आई०यू०सी० (राज्य मद से) का अलग से कार्य योजना तैयार नहीं किया जाय, बल्कि इसे जैविक सब्जी की खेती हेतु इनपुट सहायतानुदान की योजना में शामिल कर लिया जाय। मुख्यमंत्री समेकित उद्यान विकास योजना के विभिन्न अवयव राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अवयव के सदृश्य ही होंगे। जैविक सब्जी की खेती हेतु सहायतानुदान, विशेष फसल योजना अथवा कृषि रोड मैप के वैसे अवयव जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का अवयव नहीं है, को **मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना** का अतिरिक्त अवयव के रूप में ही सम्मिलित किया जाय।

अनुपालन—: (नोडल पदाधिकारी, सभी)

(9) सभी नोडल पदाधिकारी, को निदेश दिया गया कि उद्व्यय के आलोक में कार्य योजना मार्च 2018 के द्वितीय सप्ताह तक निश्चित रूप से तैयार करना सुनिश्चित करें। यदि किसी अवयव हेतु unit cost committee से अनुमोदन की आवश्यकता है, तो शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर unit cost committee से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई अभिलम्ब शुरू किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त किया गया।

अनुपालन—: (नोडल पदाधिकारी, सभी)

निदेशक उद्यान-सह-मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।

दिनांक 12/02/18 /

ज्ञापांक 250 /

प्रतिलिपि—: नोडल पदाधिकारी / उपस्थित अन्य पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक उद्यान-सह-मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना।